

आदेश

शासनादेश सं० 2885/12-2-2003-एस-19/2002 दिनांक 30.05.2003 एवं उ०प्र० बीज विकास निगम के पत्र सं० यू०पी०सी०/1635/विप-05/11/2022 दिनांक 11.07.2022 द्वारा सूचित दरों के क्रम में खरीफ-2022 में राष्ट्रीय बीज निगम(एन०एस०सी०) के माध्यम से आपूर्ति किये जाने वाले अरहर दीर्घावधि प्रमाणित बीजों की निम्न प्रजाति का कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर एवं कृषकों में वितरण हेतु फुटकर दर निम्नवत निर्धारित की जाती है :- (दर ₹०/कु०)

क्रं.	फसल/प्रजाति का नाम	कृषि विभाग हेतु प्रदाय दर (एफ०ओ०आर०) जनपद स्तर	फुटकर विक्रय दर
1	अरहर दीर्घावधि : IPA203 प्रमाणित	10770.00 (₹० दस हजार सात सौ सत्तर मात्र)	10970.00 (₹० दस हजार नौ सौ सत्तर मात्र)

राष्ट्रीय बीज निगम(एन०एस०सी०) के माध्यम से आपूर्ति किये जाने वाले बीजों की आपूर्ति (एफ.ओ.आर. जनपद स्तर पर) की जायेगी। अनुदान समायोजन के सम्बन्ध में सम्बन्धित परियोजना निदेशक द्वारा प्रसारित आदेशों/निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें। उक्त दरें वेबसाईट एवं मण्डलीय/जनपदीय विभागीय अधिकारियों की ई-मेल पर उपलब्ध है।

(सुरेन्द्र बहादुर सिंह)
अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग)
कृषि भवन, लखनऊ।

फोन/फैक्स : 0522-2205863 ई-मेल : adaseedandfarmiko@gmail.com

पत्रांक:एस०एफ०- 1137 T /29टी/बीज दर-10/2022-23 दिनांक: 19/07/2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ को उक्त दरों को विभागीय वेबसाईट/डो०बी०टी० पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. बीज आवंटन पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दरों के अनुसार डो०बी०टी० पोर्टल पर मास्टर लोड कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक(शोध) उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रधानाचार्य राजकीय कृषि विद्यालय, उ०प्र०।
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/समस्त अपर कृषि निदेशक/परियोजनाधिकारी कृषि भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, लखनऊ।
8. कृषि निदेशक, उ०प्र० की सेवा में उनके द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
9. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ।

संजेश कुमार श्रीवास्तव
सहायक निदेशक
(समन्वय एवं कम्प्यूटर)

(अपर कृषि निदेशक,
(बीज एवं प्रक्षेत्र) उ०प्र०।